उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान अनुभाग
संख्या-40/2021-1194/58-2021-33/2021
लखनऊः दिनांकः 8 जुलाई, 2021

<u>शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-37/2021-954/58-2021-33/2021 दिनांक 29.06.2021 के लेखाशीर्षक में लिपिकीय त्रुटिवश ''119-बागवानी तथा वनस्पति की फसले'' अंकित हो गया है। कृपया उक्त लेखाशीर्षक ''119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें'' के स्थान पर ''789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनायें'' पढ़ा जाये।

उक्त शासनादेश संख्या-37/2021-954/58-2021-33/2021 दिनांक 29.06.2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष यथावत रहेगा।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-40 /2021- 1194(1)/58-2021-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-18-3/2021-एम.आई.डी.एच.(2), दिनांक 27.04.2021 के संदर्भ में।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय, लखनऊ।
5- निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- बजट प्रकोष्ट, समाज कल्याण विभाग।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in